झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

प्रस्तावना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एम.ए. पाई बनाम कर्नाटक राज्य एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा रिट डब्लू.पी. (पी.आई.एल.) संख्या 2744/2003 एवं डब्लू.पी. (पी.आई.एल.) संख्या 2537/2002 में दिनाक 5 अगस्त, 2003 को दिये गये आदेश के अनुपालन में सहायता प्राप्त, संबद्ध एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों एवं इन संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों के शिकायतों के निवारण हेतु एक अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में वैधानिक न्यायाधिकरण के गठन के लिए उपयुक्त प्रावधान बनाने के लिए अधिनिमित किया गया है।

झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 06, 2005) में निम्न नई प्रस्तावना जोड़ने का प्रस्ताव है।

और जबकि, झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 को अधिनियमित होने के पश्चात् न्यायाधिकरण को सौंपे गये कार्यो एवं जिम्मेदारियों के कार्यान्वयन के क्रम में महसस किया गया कि निजी विद्यालयों, जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त न हो या स्थानीय निकायों या केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में हो, के शुल्क निर्धारण के लिए कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं है। जिस कारण झारखण्ड उच्च न्यायालय, डब्लू.पी. (पी.आई.एल.) संख्या 3271/2013 के आलोक में निजी विद्यालयों द्वारा अधिक शुल्क निर्धारण के जाँच हेतु कमिटी का गठन किया गया। शुल्क संग्रहण को विनियमित करने हेतु कमिटी द्वारा झारखण्ड सरकार को उचित कानून बनाने का सुझाव दिया गया।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा उक्त अधिनियम में निम्नरूप से संशोधन हेतु विधेयक लाने का प्रस्ताव है।

झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 06, 2005) के प्रस्तावना में उल्लिखित वैधिक फोरम के स्थान पर वैधिक न्यायाधिकरण शब्द को प्रतिस्थापित किया जाता है।

अध्याय- I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -

(i) यह अधिनियम झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(ii) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(iii) इस अधिनियम के प्रावधान, गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा 'ण' के बाद निम्नलिखित परिभाषाएँ जोड़ी जाय -

(त) ''शैक्षणिक वर्ष'' से अभिप्रेत है, अप्रैल के पहले दिन से शुरू होकर मार्च के आखिरी दिन तक,

(थ) ''सहायता प्राप्त विद्यालय'' से अभिप्रेत है, राज्य निधियों से कोई भी राशि सहायता के रूप में प्राप्त करने वाले विद्यालय,

(द) ''समिति'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के तहत विद्यालय स्तर पर गठित शुल्क समिति,

(ध) ''जिला समिति'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 7(2)(ii) के तहत जिला स्तर पर गठित समिति,

(न) ''शुल्क'' से अभिप्रेत है, विद्यालय द्वारा किसी भी मानक या किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रवेश या अध्ययन अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकत्र की जाने वाली राशि, बस शुल्क सहित, जो किसी भी नाम से जानी जाती हो,

(प) ''सरकारी विद्यालय'' से अभिप्रेत है, सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय,

(फ) ''प्रबंधन'' से अभिप्रेत है, प्रबंधन समिति या किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, समिति या किसी अन्य शासी निकाय को, जो किसी भी नाम से बुलाई जाती हो, जिसमें विद्यालय के मामलों का प्रबंधन या प्रशासन करने की शक्ति निहित है,

(ब) ''निजी विद्यालय'' से अभिप्रेत है, किसी भी पूर्व प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित और किसी भी कानून या संहिता के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी समय के लिए मान्यता प्राप्त या अनुमोदित हो, लेकिन इसमें निम्न विद्यालय शामिल नहीं है-

- (i) सहायता प्राप्त विद्यालय,
- (ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित कोई विद्यालय,
- (iii) केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय लेकिन अन्य कोई निर्देश नहीं हो।

(भ) "अभिभावक शिक्षक संघ" से अभिप्रेत है, विद्यालय द्वारा गठित माता-पिता और शिक्षकों का समूह,

अध्याय- II

शुल्क संग्रहण समिति की स्थापना (विद्यालय एवं जिला स्तर पर)

3. अध्याय (II) में निम्नलिखित नई धाराएँ अधिनियम की धारा-7 के बाद जोड़ी जाएंगी-

7 अ (1) शुल्क के संग्रह का विनियमन- सरकार द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा लगाए गये शुल्क विनियमित किये जायेगें। शुल्क निम्नानुसार विनियमित किये जायेगें-

(क) प्रत्येक विद्यालय की फीस समिति होगी, जिसमे नीचे वर्णित सदस्य होंगे:-

(i) निजी विद्यालय में प्रबंधन द्वारा मनोनित प्रतिनिधि- अध्यक्ष
(ii) निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य- सचिव
(iii) निजी विद्यालय के प्रबंधन द्वारा मनोनित तीन शिक्षक- सदस्य
(iv) माता-पिता शिक्षक संघ द्वारा नामित चार माता-पिता- सदस्य

विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय स्तर पर गठित शुल्क समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को शुल्क निर्धारण का एजेन्डा एवं बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराई जायेगी।

(ख) समिति का कार्यकाल तीन शैक्षणिक वर्षो के लिए होगा और कोई भी अभिभावक सदस्य समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद पुनः मनोनयन के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ग) निजी विद्यालयों का प्रबंधन, अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय स्तरीय समिति को फीस का प्रस्ताव देने के लिए सक्षम होगा।

(घ) शुल्क निर्धारण के कारक- किसी विद्यालय द्वारा संग्रहीत किये जाने वाले शुल्क का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित कारक ध्यान में रखे जायेंगे-

(i) विद्यालय की अवस्थिति,
(ii) गुणात्मक शिक्षा के लिए छात्रों को उपलब्ध कराई गई संरचनाएं,
(iii) प्रशासन और रख रखाव पर व्यय,
(iv) मापदण्डों के अनुसार अहर्तित शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी तथा उनके वेतन घटक,
(v) वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए युक्तियुक्त राशि,
(vi) विद्यालय के कुल आय में से छात्रों पर उपगत व्यय,

(vii) शिक्षा के विकास और विद्यालय के विस्तार के प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त अधिशेष राजस्व और

(viii) कोई भी अन्य कारक जो विहित किया जाय।

(ङ) अधिनियम के तहत निर्धारित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद शुल्क समिति, प्रस्तावित शुल्क संरचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर फीस को मंजूरी देगी और लिखित रूप में स्वीकृत शुल्क के विवरणियों को प्राचार्य को संप्रेषित करेगी। शुल्क समिति द्वारा निर्धारित शुल्क दो वर्षों के लिए प्रभावी होगी ।

(च) समिति विभिन्न शीर्षों को बताएगी, जिसके तहत शुल्क लगाया गया।

(छ) यदि समिति द्वारा तय शुल्क में वृद्धि पिछले वर्ष के शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो मामले को जिला समिति को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

(ज) शुल्क समिति निर्दिष्ट अवधि के भीतर शुल्क का निर्णय करने में विफल हो जाता है, तो प्रबंधन, शुल्क समिति को सूचना देते हुए तुरंत मामले को जिला समिति के संदर्भ में लायेगा। शुल्क निर्धारण लंबित रहने के दौरान विद्यालय प्रबंधन पिछले शैक्षणिक वर्ष के शुल्क के अनुरूप शुल्क एकत्रित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7अ. (2) जिला समिति-

(i) निर्धारित शुल्क के विरूद्ध विद्यालय स्तरीय शुल्क समितियाँ प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट किये गये मामले में निर्णय लेने के लिए जिला समिति का गठन किया जाएगा।

(ii) समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी-

- (क) उपायुक्त- अध्यक्ष
- (ख) जिला शिक्षा पदाधिकारी- पदेन सदस्य-सदस्य सचिव (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए)
- (ग) जिला शिक्षा अधीक्षक- पदेन सदस्य-सदस्य सचिव (प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए)
- (घ) जिला परिवहन पदाधिकारी- पदेन सदस्य
- (ङ) सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकांउटेंट) (समिति द्वारा नामित)- सदस्य
- (च) निजी विद्यालयों के दो प्राचार्य (समिति द्वारा नामित)- सदस्य
- (छ) दो माता-पिता (समिति द्वारा नामित)- सदस्य
- (ज) संबन्धित क्षेत्र के सांसद एवं विधायक - सदस्य

जिला स्तरीय समिति के बैठक की सूचना एवं एजेन्डा 15 दिनों पूर्व समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेगी

(iii) जिला समिति विपक्षी को सुनवाई का अवसर देने के बाद आवेदन दाखिल करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर यथासंभव अपील या संदर्भ का फैसला करेगी।

(iv) निजी विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क को जिला समिति धारा-7 क.(1)(घ) में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखते हुए जाँच करेगी।

(v) अपील या संदर्भ में जिला समिति का निर्णय संबंधित विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा और यदि विद्यालय का अपना वेबसाईट है तो प्रबंधन द्वारा उसी वेबसाईट पर इसे भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(vi) जिला समिति को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, जिसके तहत मामलों में मुकदमा चलाने की कोशिश करेगा, किसी वाद का निवारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-5) के अधीन समस्त निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होगी, अर्थात-

(क) किसी भी गवाह को समन करना और उपस्थित (हाजीर) कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना

(ख) किसी भी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य की प्राप्ति।

(घ) गवाह की परीक्षा के लिए किसी भी आयोग का गठन।

(ङ) अपील या संदर्भ में जिला समिति के निर्णय से प्रभावित प्रबंधन या शुल्क समिति, ऐसे फैसले की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया हो।

2. जिला समिति का आदेश दो शैक्षणिक वर्षों के लिए सभी पक्षों के अनुपालन के लिए बाध्यकारी होगा। इस अधिनियम के तहत् झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण में अपील को छोड़कर किसी अन्य सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

7 अ. (3) भवन और परिसर का उपयोग- विद्यालय भवन या संरचना या परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और विद्यालय परिसर में अवस्थित कियोस्क से पुस्तक या अन्य सामग्री यथा वर्दी एवं जूते आदि के क्रय के लिए अविभावकों/छात्र-छात्राओं को बाध्य/प्रेरित नहीं करेंगे ।

7अ. (4) अपराध और दण्ड- जो कोई भी, प्रबंधन या निजी विद्यालय इस अधिनियम या तद्धीन (तहत) बनाये गये नियमों, 7अ.(1)(2)(3) के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह -

(i) प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो लाख पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा या इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित शुल्क के आधिक्य में ली गयी रकम का दोगुना, जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा।

(ii) दवितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रूपये से कम का नहीं होगा या इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित शुल्क के आधिक्य में ली गयी रकम का दोगुना, जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा।

(iii) उपर्युक्त दण्ड लगाने के अलावा दोषी विद्यालय की मान्यता समाप्ति के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी और संबंधित विद्यालय की मान्यता समाप्ति के लिए संबंधित संबद्ध निकाय के हिस्से के लिए अनिवार्य होगा।

7अ. (5) अपराध एवं दण्ड हेतु उत्तरदायित्यों का निर्धारण-

(i) जो कोई भी, प्रबंधन या निजी विद्यालय इस अधिनियम की धारा 7क.(4) में वर्णित उत्तरदायित्यों के निर्धारण एवं कार्यान्वयन हेतु संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयक्त अधिकृत होंगे। दण्ड स्वरूप प्राप्त राशि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची के राजस्व शीर्ष में जमा होगा।

(ii) जिला समिति के निर्णय के उल्लंघन होने पर निर्णय के 90 दिनों के अंदर इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त को जिला समिति के किसी नामित सदस्य दवारा दी जायेगी।

(iii) प्रमंडलीय आयक्त जिला समिति के सदस्यों से प्राप्त सूचना/शिकायत के सुनवाई का अवसर प्रदान कर यथासंभव 60 दिनों के अंदर इसका निष्पादन करेंगे।

4. अधिनियम की धारा-11 (च) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है-

"न्यायाधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा आदेश/न्यायादेश के 30 दिनों के भीतर आवेदन प्राप्त होने पर करेगा।"

5. अधिनियम की धारा-15 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है-

"न्यायाधिकरण दवारा पारित आदेश/न्यायादेश के विरूद्ध झारखण्ड उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकेगी"

6. अधिनियम की धारा-22(ख.) के बाद नई उप-धारा (ग.) निम्न प्रकार जोड़ी जायेगी-

"न्यायाधिकरण के आदेश या निर्णय के 90 दिनों के अंदर आवेदक न्यायाधिकरण के समक्ष आदेश के कार्यान्वयन हेतु आवेदन दायर कर सकेगा।"

यह विधेयक झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 21 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।
